भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1880

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण

1880. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत खर्च की जा रही धनराशि की मौजूदा प्रक्रिया से एनजेआईएआई किस प्रकार अलग है ;

(ग) क्या सरकार निचली अदालतों में न्यायिक अवसंरचना बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम बनाने पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या एनजेआईएआई का प्रस्ताव मंत्रालय में उच्चतम न्यायालय से प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हाँ, तो इस पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (च) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर डाटा का संकलन किया है । न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसंरचना की व्यवस्था हेतु भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार मुख्य आश्रयदाता के रूप में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ

एक शासी निकाय होगा । प्रस्ताव की अन्य विशेषताएं यह हैं कि सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना की योजना, सृजन, विकास, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप अधिकथित करने में एक केन्द्रीय निकाय के रूप में एनजेआईएआई कार्य करेगा । विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को उन्हें इस विषय पर एक सुविचारित दृष्टिकोण लेने में समर्थ बनाने के लिए प्रस्ताव की रूपरेखाओं पर उनके दृष्टिकोणों के लिए प्रस्ताव को उन्हें भेजा गया है क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण पणधारी हैं ।

जहां तक न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का संबंध है, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों के संसाधनों का वर्धन करने के लिए संघ सरकार, विहित निधि साझा पद्धति में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । आज तारीख तक, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को स्कीम के अधीन 8758.71 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 5314.40 करोड़ रुपए वर्ष 2014-15 से जारी किए जा चुके हैं जो स्कीम के अधीन कुल निर्गम का लगभग 60.68% है । सरकार ने 9000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ, जिसके अन्तर्गत 5307 करोड़ रुपए का केन्द्रीय हिस्सा भी है, 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए इस सीएसएस के जारी रहने का अनुमोदन किया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हालों और आवासीय ईकाईयों के अतिरिक्त, शौचालयों, डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों और अधिवक्ता हाल के सन्निर्माण को भी इसके अन्तर्गत लाने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है । स्कीम के विस्तार तथा स्कीम में नई विशेषताओं को आरम्भ करने के अनुसरण में, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 19.08.2021 को पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ।

****